

अतः पत्रावली अब पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 11/10/2022 को पेश हो।

11/10/2022

पत्रावली पेश हुई। बकील पक्षकारों उपस्थित
बकील उद्योगपत्र लाजिरी नहीं आये हैं, आज
न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर
तीन-तीन बार आवेजें कराने पर भी
सौर्य 5 बजे तक उपस्थित नहीं हुए। अतः
पत्रावली इसी स्टेज पर स्थगित आदेश
3 नियम 3 जाप्ता बिकानेर के तहत अदालत
लाजिरी व अदालत फौरन में एलडु द्वारा
खारिज की जाती है। पत्रावली कौन्सल शुभारंभ
होकर नंबर से काम की जाकर कार्रवाई
हफ्तर है। आदेशा खुले न्यायालय में
छुनाया जाकर मेरे एग्रीमेंट व न्यायालय
सुझा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
सागर लोक (जयपुर)

